रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2009/आषाढ़ 24, 1931

No. 408] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2009/ASADHA 24, 1931

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2009

(भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त मैक्सिकन राज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि)

सा.का.नि. 525(अ).—जबकि भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त मैक्सिकन राज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि पर नई दिल्ली में 10 सितम्बर, 2007 को हस्ताक्षर किए गए थे, और 18 दिसम्बर, 2008 को मैक्सिको में अनुसमर्थन दस्तावेज का आदान-प्रदान किया गया था और इस संधि के अनुच्छेद 23.2 के अनुसार यह 17 जनवरी, 2009 से लागू हो गया हो और जिस संधि में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त मैक्सिकन गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद 'संविदाकारी पक्ष' कहा गया है;

दोनों पक्षकारों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ करने की इच्छा से प्रेरित होते हुए ;

अपराध की रोकथाम और उसके दमन में दोनों देशों के बीच सहयोग की प्रभावकारिता में सुधार लाने की इच्छा रखते हुए ;

अपराध का सामना करने और अपराधियों के पारस्परिक प्रत्यर्पण में एक-दूसरे को सहायता प्रदान करने में सहयोग के महत्व के प्रति जागरूक होते हुए ;

यह मानते हुए कि आतंकवाद का सामना करने के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है;

राज्यों के बीच प्रभुसत्ता और समानता के लिए पारस्परिक आदर के आधार पर;

निम्नानुसार सहमत हैं :

अनुच्छेद-1

प्रत्यर्पण करने का दायित्व

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस संधि में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और शर्तों के अध्यधीन किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी एक पक्ष के क्षेत्र में इस संधि के अनुच्छेद-2 में यथावर्णित किसी प्रत्यर्पण अपराध को करने का आरोप लगाया जा रहा है अथवा सिद्ध-दोष है, तो दूसरे पक्ष के क्षेत्र के भीतर पाए जाने पर चाहे वह अपराध इस संधि के लागू होने से पहले अथवा बाद में किया गया हो, दूसरे संविदाकारी पक्ष को प्रत्यर्पित करने का बचन देता है।

2 इस संधि के अनुच्छेद-2 में यथावर्णित प्रत्यर्पण ऐसे प्रत्यर्पण अपराध के संबंध में भी लागू होगा, जो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र से बाहर किया गया हो, परन्तु जिसके संबंध में उसका क्षेत्राधिकार है, बशर्ते अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के पास समान परिस्थितियों में ऐसे अपराध पर क्षेत्राधिकार हो। ऐसी परिस्थितियों में अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अपराध की गंभीरता सहित मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

3. इसके अतिरिक्त इस संधि के अनुच्छेद-2 में यथावर्णित अनुसार किसी ऐसे प्रत्यर्पण अपराध के लिए प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा :

(क) यदि वह अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के किसी राष्ट्रिक द्वारा किसी तीसरे देश में किया गया हो और अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अपना क्षेत्राधिकार अपराधी की राष्ट्रिकता पर आधारित करे; और

(ख) यदि वह अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र में हुआ हो और वह अपराध उस पक्षकार के राष्ट्रीय

विधान के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष के कारावास की सजा से दण्डनीय हो ।

अनुच्छेद-2

प्रत्यर्पण अपराध

1. इस संधि के प्रयोजनार्थ प्रत्यर्पण अपराध ऐसे आचरण से बनता है जो प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा दिए जाने योग्य हो।
2. कोई अपराध किसी भी बात के रहते हुए प्रत्यर्पण अपराध हो सकता है यदि वह कराधान व राजस्व से संबंधित है अथवा पूरी तरह से वित्तीय स्वरूप का है।
3. यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्र में दिए गए दण्ड को पूरा करने के लिए किया गया हो तो दण्ड पूरा करने की बची हुई अवधि कम से कम छ: महीने होगी।
4. इस संधि के प्रयोजनार्थ प्रत्यर्पण पर उन प्रत्यर्पणीय अपराधों के संबंध में विचार किया जाएगा, जो उन बहुपक्षीय अभिसमयों में शामिल हों, जिनके दोनों राज्य पक्षकार हैं।

अनुच्छेद-3

केन्द्रीय प्राधिकरण

1. इस संधि के तहत सभी अनुरोध राजनयिक चैनलों के माध्यम से पक्षकारों के केन्द्रीय प्राधिकरणें द्वारा किए जाएंगे।
2. भारत गणराज्य में केन्द्रीय प्राधिकरण इसका विदेश मंत्रालय है और संयुक्त मैक्सिकन राज्य के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण उसका विदेश मंत्रालय है।

अनुच्छेद-4

मिश्रित अपराध और दोहरी आपराधिकता

प्रत्यर्पण अपराध के लिए इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा, चाहे वांछित व्यक्ति का आचरण अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र में पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से अंजाम दिया गया हो, बशर्ते उस पक्ष के राष्ट्रीय विधान के अंतर्गत इस आचरण और उसके प्रभावों, अथवा उसके अभिप्रेत प्रभावों को, कुल मिलाकर अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्र में किया गया प्रत्यर्पण अपराध करने के समान माना जाए।

अनुच्छेद-5

राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण

अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अपने राष्ट्रिकों के प्रत्यर्पण पर विचार करेगा। इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीयता वही होगी जो कि अपराध करते समय हो।

अनुच्छेद-6

प्रत्यर्पण अथवा अभियोजन

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है यदि व्यक्ति, जिसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है, उस पर उस पक्ष के न्यायालयों अथवा अधिकरणों में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चल सकता हो।
2. जहां अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष इस अनुच्छेद के पैरा 1 में स्पष्ट किए गए कारणवश प्रत्यर्पण से मना कर देता है, वहां वह मामले को अपने सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा, ताकि अभियोजन पर विचार किया जा सके। वे प्राधिकारीगण अपना निर्णय उसी प्रकार से लेंगे, जिस प्रकार कि यदि ऐसे मामले में उस पक्ष के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत गंभीर प्रकृति के किसी अपराध के लिए किया जाता है।
3. यदि ऐसे मामले में सक्षम प्राधिकारी अभियोजन नहीं चलाए जाने का निर्णय लेते हैं, तो इस संधि के अनुसार में अनुरोधकर्ता पक्ष के अनुरोध पर प्रत्यर्पण पर विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद-7

राजनैतिक अपराध

1. प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है यदि वह अपराध जिसके लिए यह अनुरोध किया गया है, राजनैतिक स्वरूप का हो अथवा प्रत्येक पक्ष के राष्ट्रीय कानून के अनुसार राजनीतिक चरित्र के अपराध से संबंधित हो।
2. इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा :

(क) अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के तहत किए गए अपराध जिसके दोनों राज्य पक्षकार हैं;

(ख) हत्या;

(ग) नरसंहार अथवा आपराधिक मानव वध;

(घ) शारीरिक क्षति पहुंचाने वाला अथवा घायल करने वाला कोई हमला, किसी हथियार के द्वारा, किसी खतरनाक पदार्थ के द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से विद्वेषपूर्ण तरीके से घायल करना अथवा गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाया जाना;

(ङ) कोई विस्फोट करना जिससे जीवन के खतरे में पड़ने तथा संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका हो;

(च) किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा विस्फोटक पदार्थ का निर्माण किया जाना अथवा रखा जाना जिसकी मंशा या तो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के जरिए जीवन के लिए खतरा पैदा करने अथवा संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाने की हो;

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र अथवा गोला-बारूद रखा जाना जिसकी मंशा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के जरिए जीवन के लिए खतरा पैदा करने की हो;

(ज) अपनी अथवा किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी अथवा हिरासत के विरुद्ध प्रतिरोध करने अथवा इसे

रोकने की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र का उपयोग किया जाना;

(झ) जीवन को खतरे में डालने की मंशा से अथवा दूसरों की जिन्दगी पर खतरा आ सकता है, की चिन्ता किए बिना जनोपयोगी संपत्ति अथवा अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना;

(ञ) बंधक बनाए जाने सहित अपहरण, अप्राधिकृत बंदीकरण, मिथ्या कैद अथवा अवैध गिरफ्तारी;

(ट) हत्या के लिए उकसाना;

(ठ) आतंकवाद से संबंधित अन्य कोई अपराध जिसे अनुरोध प्राप्त होने के समय अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानूनों के अंतर्गत एक राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना गया है; और

(ड) उपरोक्त कोई अपराध किए जाने के लिए किया गया प्रयास अथवा षड्यंत्र अथवा ऐसा कोई अपराध करने वाले अथवा अपराध करने का प्रयास करने वाले के साथ सहापराधि के रूप में भाग लेना।

अनुच्छेद-8

प्रत्यर्पण से इंकार के आधार

किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से इंकार किया जा सकता है :

1. यदि वह व्यक्ति जिसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है, पर उसी अपराध के लिए जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा अभियोजन चलाया जा रहा हो;

2. यदि जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की गई है, को अंतिम तौर पर दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध घोषित कर दिया गया हो और अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अथवा किसी तीसरे राज्य में उसी अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, सजा सुनाई गई हो;

3. यदि किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पण अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो और छह (6) माह से कम अवधि के लिए गिरफ्तार अथवा अन्य प्रकार के कैद की सजा सुनाई गई हो;

4. यदि उस पर, उस अपराध जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के भू-क्षेत्र के अंदर विचारण किया गया होता, तो वह पूर्व दोषमुक्त अथवा सजा से संबंधित अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के राष्ट्रीय कानून के किसी नियम के तहत रिहा किया जाने का हकदार होगा।

5. जबकि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के राष्ट्रीय कानून के अनुसार कालातीत हो जाने के कारण अभियोजन अवरुद्ध हो गया हो।

6. जबकि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के पास यह मानने के ठोस आधार हों कि प्रत्यर्पण की मांग किए जा रहे व्यक्ति पर उसकी जाति, धर्म अथवा लिंग के कारण मुकदमे चलाने अथवा सजा देने के उद्देश्य से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो।

7. जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, यदि वह सैन्य कानूनों के तहत अपराध है जो कि सामान्य दण्ड कानूनों के तहत अपराध भी न हो।

8. यदि समान अपराध के लिए समान आधार तथा समान व्यक्ति के संबंध में पूर्व में प्रत्यर्पण से इंकार कर दिया गया हो।

9. जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, वह अनुरोधकर्ता पक्ष के कानून के अंतर्गत मृत्युदण्ड है और अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के राष्ट्रीय कानून के तहत मृत्युदण्ड का प्रावधान नहीं होता है, प्रत्यर्पण से इंकार कर दिया जाएगा जब तक कि अनुरोधकर्ता पक्ष इस प्रकार का आश्वासन नहीं दे देता कि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष यह समुचित समझें कि मृत्युदण्ड नहीं दिया जाएगा या लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-9

समर्पण का आस्थगन

यदि वांछित व्यक्ति के विरुद्ध अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र में आपराधिक कार्रवाइयां चल रही हों अथवा उसे आपराधिक कार्रवाइयों के अधीन कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया हो तो अपराधिक कार्रवाइयां पूरी होने अथवा उसकी हिरासत अवधि समाप्त होने तक उससे प्रत्यर्पण को आस्थगित किया जा सकता है।

अनुच्छेद-10

प्रत्यर्पण प्रक्रियाएं

1. अनुरोध लिखित में किया जाएगा तथा उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे।

   (क) वांछित व्यक्ति का यथासंभव सही-सही वर्णन के साथ कोई अन्य सूचना जिससे कि उसकी पहचान, राष्ट्रीयता तथा संभावित अता-पता सहित निवास स्थान का पता लगाने में मदद मिले।

   (ख) उस अपराध के तथ्यों का विवरण जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है ; और

   (ग) राष्ट्रीय कानून का पाठ.–

      (i) उस अपराध को परिभाषित करना;

      (ii) उस अपराध के लिए अधिकतम सजा निर्धारित करना; और

      (iii) अपराध के अभियोजन के लिए समय सीमा निर्धारित करना।

2. यदि अनुरोध किसी आरोपित व्यक्ति से संबंधित हो तो उसके साथ आरोप साबित करने के लिए आरोप-पत्र से संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति, अनुरोधकर्ता पक्ष के भू-क्षेत्र के किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम

प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट तथा ऐसे साक्ष्य भी अवश्य ही संलग्न होने चाहिए, जो कि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के राष्ट्रीय कानून के अनुसार उस पर मुकदमा चलाए जाने की उसकी प्रतिबद्धता को न्यायोचित ठहराए, यदि वह अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के भू-क्षेत्र के अंदर किया गया होता।

3. यदि अनुरोध ऐसे व्यक्ति से संबंधित है, जिसका पहले ही दोषसिद्ध हो चुका है और सजा सुना दी गई है, तो इसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे :

(क) गिरफ्तारी वारंट, दोषसिद्धि तथा सजा के आदेश की सत्यापित प्रतियां; और

(ख) एक विवरण कि दोषसिद्धि अथवा सजा अंतिम है जिसमें यह भी दर्शाया जाए कि अब कितनी सजा काटनी है।

4.. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष यह समझता है कि इस संधि के प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत साक्ष्य अथवा दी गई सूचना इस अनुरोध पर कोई निर्णय लिए जा सकने के लिए पर्याप्त नहीं है। अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त साक्ष्य अथवा सूचना निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर प्रस्तुत करनी होगी।

अनुच्छेद-11

अनंतिम गिरफ्तारी

1. आवश्यक मामलों में वांछित व्यक्ति को, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के राष्ट्रीय कानून के अनुसार अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनंतिम रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है। आवेदन में उक्त व्यक्ति के औपचारिक प्रत्यर्पण के अनुरोध के आशय का संकेत और उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट होने का विवरण और यदि उपलब्ध हो, उसका ब्यौरा और ऐसी अन्य सूचना, यदि कोई हो, होगा जो कि उसके गिरफ्तारी वारंट जारी होने को न्यायोचित ठहराने के लिए आवश्यक होगा :-

(क) किए गए अपराध का समय और स्थान;

(ख) अपराध करने की परिस्थितियां;

(ग) वांछित व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता निर्धारित करने के लिए उपयुक्त सूचना।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में उसके सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनंतिम गिरफ्तारी का अनुरोध किया जाएगा। अनुरोधकर्ता पक्ष को अनुरोध के क्रियान्वयन के परिणाम से अवगत कराया जाएगा ।

3. अनंमि रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी के साठ (60) दिनों की अवधि के अंदर, प्रत्यर्पण का औपचारिक आदेश और इस संधि के अनुच्छेद 10 के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त नहीं हो जाते हों ।

4. अनंतिम गिरफ्तारी समाप्त हो जाने के बाद भी अनुरोधकर्ता पक्ष पुन: अनुरोध कर सकता है। इस आशय का नया अनुरोध इस संधि के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

अनुच्छेद-12

दस्तावेज एवं साक्ष्य

1. सभी मामलों में इस संधि के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और इसके साथ अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की सरकारी भाषा अथवा अंग्रेजी में अनुवाद संलग्न होगा।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के प्राधिकारी प्रत्यर्पण की किसी भी प्रक्रिया में, शपथ अथवा पुष्टि द्वारा लिए गए किसी साक्ष्य में किसी भी वारंट और प्रमाणपत्र अथवा न्यायिक दस्तावेज को दोषसिद्धि के तथ्य का उल्लेख करते हुए साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेंगे यदि यह :

(क) i. वारंट पर हस्ताक्षर होने की स्थिति में अथवा किसी मूल दस्तावेज के प्रमाणित होने की स्थिति में अनुरोधकर्ता राज्य के किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है; और

ii. किसी गवाह के शपथ अथवा अनुरोधकर्ता पक्ष के किसी उपयुक्त मंत्री के आधिकारिक मोहर से मोहरबंद है; अथवा

(ख) अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के राष्ट्रीय कानून द्वारा अनुमत किसी अन्य तरीके से।

3. पैरा (2) में उल्लिखित साक्ष्य अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं में मान्य होंगे, चाहे इनका शपथ अथवा पुष्टि अनुरोधकर्ता पक्ष में अथवा किसी तीसरे राज्य में हुआ हो ।

अनुच्छेद-13

संक्षिप्त प्रत्यर्पण

यदि वांछित व्यक्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों को सूचित करता है कि प्रत्यर्पित होने के लिए तैयार है तो वह पक्ष आगे की कार्यवाही को रोक सकता है और अपने राष्ट्रीय कानून के अध्यधीन शीघ्रता से प्रत्यर्पण के लिए सभी उपाय कर सकता है ।

अनुच्छेद-14

परस्पर विरोधी अनुरोध

यदि उसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध, उसी अपराध के लिए अथवा अन्य अपराधों के लिए ऐसे किसी दूसरे पक्ष अथवा तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है, जिसके साथ अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की प्रत्यर्पण व्यवस्था है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष यह निश्चय करेगा कि उस व्यक्ति को किसी पक्ष को प्रत्यर्पित किया जाए और वह इस संधि के दूसरे पक्ष को वरीयता देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

अनुच्छेद-15

अभ्यर्पण

1. यदि प्रत्यर्पण प्रदान किया जाता है तो वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के प्राधिकारियों द्वारा अनुरोधकर्ता पक्ष के साथ विचार-विमर्श करके अपने भू-क्षेत्र से किसी सुविधाजनक प्रस्थान केन्द्र पर भेज दिया जाएगा।

2. अनुरोधकर्ता पक्ष वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के भू-क्षेत्र से साठ (60) दिनों अथवा इससे अधिक अवधि, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के राष्ट्रीय विधान के अंतर्गत जैसा भी अनुमत हो, के लिए हटा सकता है। यदि उसे उस अवधि के भीतर नहीं हटाया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है और उसी अपराध के लिए उसे प्रत्यर्पित करने से इंकार कर सकता है।

अनुच्छेद-16

संपत्ति की जब्ती और अभ्यर्पण

1. राष्ट्रीय विधान के अंतर्गत अनुमत सीमा तक अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष उस अपराध, जिसके संबंध में प्रत्यर्पण प्रदान किया गया है, से जुड़ी सभी वस्तुओं, दस्तावेजों और साक्ष्यों को जब्त कर सकता है और उन्हें पकड़कर अनुरोधकर्ता पक्ष को अभ्यर्पित कर सकता है। इस अनुच्छेद में उल्लिखित वस्तुएं तब भी अभ्यर्पित की जा सकती हैं यदि मृत्यु, गुमशुदगी अथवा वांछित व्यक्ति के भाग जाने के कारण प्रत्यर्पण क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है ।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष इस शर्त के साथ अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के संतोषजनक आश्वासन पर संपत्ति को अभ्यर्पित कर सकता है कि संपत्ति को यथासंभव शीघ्र अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को वापस कर दिया जाएगा। अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष भी ऐसी संपत्ति का अभ्यर्पण आस्थगित कर सकता है यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष में साक्ष्य के रूप में इसकी आवश्यकता पड़ती हो ।

3. ऐसी संपत्ति में तीसरे पक्षों के अधिकारों का विधिवत सम्मान किया जाएगा।

अनुच्छेद-17

विशिष्टता का नियम

1. कोई भी व्यक्ति, जिसे इस संधि के अंतर्गत अनुरोधकर्ता पक्ष को अभ्यर्पित किया जाता है, उसे इस अनुच्छेद के पैरा (2) में उल्लिखित अवधि के दौरान निम्नलिखित को छोड़कर उस क्षेत्र में उसके प्रत्यर्पित किए जाने के पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए अथवा के संबंध में अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्र के भीतर गिरफ्तार, कैद अथवा अभियोजित नहीं किया जाएगा :-

   (क) वह अपराध जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया था;

   (ख) उस अपराध, जिसके संबंध में उसके प्रत्यर्पण के लिए विधिसम्मत आदेश नहीं दिया गया था, को छोड़कर उसका अभ्यर्पण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिद्ध तथ्यों द्वारा प्रकट किया गया कोई लघुतर अपराध; और

   (ग) उस अपराध, जिसके संबंध में उसके प्रत्यर्पण के लिए कोई विधिसम्मत आदेश नहीं दिया जा सका अथवा वस्तुत: नहीं दिया जा सकेगा, को छोड़कर कोई अपराध जिसके संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष उसकी गिरफ्तारी, कैद अथवा मुकदमें पर सहमति दे सकता है ।

2. इस अनुच्छेद के पैरा (1) में संदर्भित अवधि इस संधि के अंतर्गत अनुरोधकर्ता पक्ष के भू-क्षेत्र में उसके आगमन अथवा उसके प्रत्यर्पण से आरंभ होकर अनुरोधकर्ता पक्ष के भू-क्षेत्र को छोड़ने के अवसर की तारीख के प्रथम अगले दिन के 45 दिनों के पश्चात् की है ।

3. इस अनुच्छेद के पैरा (1) के प्रावधान उन अपराधों और इन अपराधों के संबंध में उत्पन्न मामलों पर लागू नहीं होंगे, जो इस संधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति की वापसी के बाद किए गए हों ।

अनुच्छेद-18

पुनर्प्रत्यर्पण

किसी व्यक्ति को किसी तीसरे राज्य में पुन: प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा बशर्ते कि जिस राज्य में उसे अभ्यर्पित किया गया है, उस राज्य के भू-क्षेत्र को छोड़ने का अवसर प्राप्त होने पर भी उसने अंतिम रिहाई के साठ (60) दिनों के भीतर ऐसा नहीं किया है अथवा इसे छोड़ने के बाद उस भू-क्षेत्र में वापस आ गया हो ।

अनुच्छेद-19

व्यय

प्रत्यर्पण अनुरोध का निष्पादन किए जाने के कारण अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के भू-क्षेत्र में हुए व्यय का वहन उस पक्ष द्वारा किया जाएगा। भगोड़े व्यक्ति के स्थानांतरण पर होने वाले व्यय का वहन भी अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा किया जाएगा ।

अनुच्छेद-20

अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अंतर्गत दायित्व

वर्तमान संधि से किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय/संधि जिसके दोनों राज्य पक्षकार हैं, से उत्पन्न प्रत्यर्पण के संबंध में दोनों पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद-21

परामर्श

वर्तमान संधि के लागू किए जाने, इसके निर्वचन अथवा क्रियान्वयन से उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से केन्द्रीय प्राधिकारियों के बीच विचार-विमर्श के द्वारा किया जाएगा ।

अनुच्छेद-22

पारगमन

1. दोनों पक्षकार अपने भू-क्षेत्र से किसी तीसरे पक्षकार द्वारा अभ्यर्पित किसी व्यक्ति के परिवहन की अनुमति देंगे। पारगमन के लिए कोई अनुरोध राजनयिक माध्यमों से किया जाएगा। इसके साथ ले जाए जाने वाले व्यक्ति का हुलिया और मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण संलग्न किया जाएगा। जाने वाले व्यक्ति को पारगमन की अवधि के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है।

2. जहां हवाई परिवहन का उपयोग किया जाता है और पक्षकार के भू-क्षेत्र में उतरने का समय निर्धारित नहीं है, वहां प्राधिकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी पक्षकार के भू-क्षेत्र में असभंव उतरने की स्थिति में दूसरे पक्षकार को पैरा 1 में किए गए प्रावधान के अनुरूप पारगमन के अनुरोध की आवश्यकता पड़ सकती है। पारगमन का अनुरोध प्राप्त होने और पारगमन निष्पादित किए जाने तक वह पक्षकार पारगमन किए जाने वाले व्यक्ति को तब तक कैद रखेगा, जब तक कि असमय उतरने के छियान्वे (96) घंटों के भीतर अनुरोध प्राप्त नहीं हो जाता है ।

अनुच्छेद-23

अंतिम प्रावधान

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्यधीन है और अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान यथासंभव शीघ्र किया जाएगा।

2. यह संधि अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किए जाने के पश्चात् तीसवें (30) दिन लागू हो जाएगी।

3. आपसी सहमति से इस संधि में संशोधन किया जा सकता है ।

4. दोनों में से कोई भी पक्षकार इस संधि को समाप्त कर सकता है। यह समाप्ति दूसरे पक्षकार को अधिसूचित किए जाने की तारीख से छह (6) महीने बाद प्रभावी होगी।

5. इसकी समाप्ति के पूर्व प्राप्त हुए प्रत्यर्पण के अनुरोध पर इस संधि के अंतर्गत विचार किया जाएगा ।

2007 के सितम्बर माह के दसवें दिन हिन्दी, स्पेनी और अंग्रेजी भाषा के दो-दो पाठों में सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

अत: अब, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा निदेश करती है कि अध्याय-III को छोड़कर उक्त अधिनियम के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से संयुक्त मैक्सिकन राज्य पर लागू होंगे ।

पी. एम. मीणा, संयुक्त सचिव (कोंसुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2009

TREATY N EXTRADITION BETWEEN THE GOVERNME. ' OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNM. T OF UNITED MEXICAN STATES

G.S.R. 525(E).—Whereas the Treaty on Extradition between the Government of the Republic of India and the Government of United Mexican States was signed at New Delhi on 10th September, 2007; and the Instrument of Ratification exchanged at Mexico on 18th December, 2008 and as per Article 23.2 of the Treaty, it has entered into force from 17th January, 2009, and which Treaty provides as follows :

The Government of the Republic of India and the Government of the United Mexican States hereinafter referred to as "The Parties";

Encouraged by the desire to further strengthen the friendly relations between the parties;

Desiring to improve the effectiveness of the cooperation between both countries in prevention and suppression of crime;

Conscious of the importance of the co-operation in the fight against crime and granting each other assistance on reciprocal extradition of offenders;

Recognizing that concrete steps are necessary to combat terrorism;

Based on mutual respect for the sovereignty and equality between the States;

Have agreed as follows :

ARTICLE 1

Obligation to Extradite

1. Each Party undertakes to extradite to the Other, in the circumstances and subject to the conditions specified in this Treaty, any person who, being accused or sentenced of an extradition offence as described in Article 2, committed within the territory of a Party, is found within the territory of the other Party, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

2. Extradition shall also be available in respect of an extradition offence as described in Article 2 committed outside the territory of the Requesting Party but in respect of which it has jurisdiction if the Requested Party would, in similar circumstances, have jurisdiction over such an offence. In such circumstances the Requested Party shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence.

3. In addition, extradition shall be available for an extradition offence as described in Article 2 :

(a) If it is committed in a third State by a national of the Requesting Party and this Party bases its jurisdiction on the nationality of the offender; and

(b) If it occurred within the territory of the Requested Party and it would an offence under the national legislation of that Party punishable with imprisonment for a term of at least one (1) year.

ARTICLE 2

Extradition offences

1. An extradition offence for the purposes of this Treaty is constituted by a conduct, which pursuant to the national legislation of each Party is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one (1) year.

2. An offence may be an extradition offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.

3. If the extradition is requested for the serving of sentence imposed in the Requesting Party, the duration of the sentence left to be served shall be at least for six (6) months.

4. For the purpose of this Treaty, extradition shall be considered in respect of extraditable crimes included in multilateral conventions to which both States are Parties.

ARTICLE 3

Central Authorities

1. All requests under this Treaty shall be made by the Central Authorities of the Parties through Diplomatic Channels.

2. For the Republic of India the Central Authority is the Ministry of External Affairs and in the United Mexican States the Central Authority is the Ministry of Foreign Affairs.

ARTICLE 4

Composite Offences and Dual Criminality

Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or a part in the Requested Party, if under the national legislation of the Party this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence in the territory of the Requesting Party.

ARTICLE 5

Extradition of Nationals

The Requested Party shall consider the extradition of its nationals. The nationality for this purpose shall be as at the time of the commission of the offence.

ARTICLE 6

Aut Dedere Aut Judicare (Extradition or Prosecution)

1. The request for extradition may be refused by the Requested Party if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of tribunals of that Party.

2. Where the Requested Party refuses the extradition for the reason set out in paragraph 1 of this Article, it shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the national legislation of that Party.

3. If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the extradition shall be reconsidered at the request of the Requesting Party, in accordance with this Treaty.

ARTICLE 7

Political Offence

1. Extradition shall be refused if the offence for which it is requested is an offence of a political character, or related with an offence of political character, according to each Party's national legislation.

2. For the purpose of this Treaty, the following offences shall not be regarded as offences of political character :

(a) offences under International Conventions to which both States are Parties;

(b) murder;

(c) manslaughter or culpable homicide;

(d) assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substance or otherwise;

(e) the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property;

(f) the making or possession of an explosive substance by a person to intend either himself or another person to endanger life or cause serious damage to property;

(g) the possession of a firearm or ammunition by a person who intends either himself or through another person to endanger life;

(h) the use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person;

(i) damaging property whether used for public utilities or otherwise. with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered;

(j) kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention, including the taking of a hostage;

(k) incitement to murder;

(l) any other offence related to terrorism which at the time of the request is under the national legislation of the Requesting Party, not to be regarded as an offence of a political character; and

(m) an attempt or cortspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who. commits or attempts to commit such an offence.

ARTICLE 8

Grounds for Refusal of Extradition

The extradition may be refused :

1. If the person sought is being prosecuted by the Requested Party for the same offence for which the extradition has been requested;

2. If the person sought has been finally acquitted or convicted and sentenced in the Requested Party or a third State for the same offence for which the extradition is requested;

3. If a person who has been convicted of an extradition offence and sentenced to imprisonment or other form of detention for a period of less than six (6) months;

4. Had he been tried in the territory of the Requested Party for the offence for which his extradition is requested, he would have been entitled to be discharged under any rule of the national legislation of the Requested Party relation to previous acquittal or sentence;.

5. When the prosecution has become barred by lapse of time according to the national legislation of the Requesting Party;

6. When the Requested Party has well founded reasons to believed that the request for extradition has been presented with the intention to prosecute or punish the person sought, by teason of race, religion or gender.

7. If the offence for which extradition is requested is an offence under military law, which is not also an offence under the ordinary criminal law.

8. If the extradition for the same offence has been previously denied on the same grounds and with regard to the same person.

9. If the offence for which the extradition is requested is Punishable by death under the law of the Requesting Party, and the death-penalty is not provided for Requesting Party gives such assurance as the Requested Party considers sufficient that the death-penalty will not be imposed or carried out.

ARTICLE 9

Postponement of Surrender

If criminal proceedings against the person sought are instituted in the territory of the Requested Party, or he is lawfully detained in consequence of criminal proceedings, the decision whether or not to extradite him may be postponed until the criminal proceedings have been completed or he is no longer detained.

ARTICLE 10

Extradition Procedures

1. The requested shall be made in writing and accompanied by :

(a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish his identity, nationality and residence, including possible location;

(b) a statement of facts of the offence for which extradition in requested, and

(c) the text of national legislation:

(i) Defining the offence;

(ii) prescribing the maximum punishment for that offence; and

(iii) establishment the time limit for the prosecution of the offence.

2. If the request relates to an accused person, it must also be accompanied by a certified copy of the charging document establishing accusation, the warrant of arrest issued by a Judge, Magistrate or other competent authority in the territory of the Requesting Party and by such evidence as, in accordance with the national legislation of the Requested Party would justify his committal for trial if the offence had been committed within the territory of the Requested Party.

3. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall be accompanied by :

(a) certified copies of the warrant of arrest, order of conviction and sentence; and,

(b) a statement that the conviction or sentence was final and showing the remainder of the sentence to be served. .

4. If the Requested Party considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional evidence or information shall be submitted within such time as the Requested Party may require.

ARTICLE 11

Provisional Arrest

1. In urgent cases the person sought may, in accordance with the national legislation of the Requested Party, be provisionally arrested by the competent authorities of the Requested Party. The application shall contain an indication of intention to request the formal extradition of that person and a statement of the existence of a warrant of arrest against him and, if available, his description and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest as :

(a) time and place of the offence committed;

(b) circumstances of the commission;

(c) proper information to determine the identity and nationality of the person sought.

2. The request for provisional arrest shall be executed by the competent authorities of the Requested Party in accordance with its national legislation. The Requesting Party shall be informed of the result of the execution of request.

3. The person arrested provisionally could be released if within a period of sixty (60) days of the arrest of the person sought, the Requested Party has not received the formal request for extradition and the documents required pursuant to Article 10 of this Treaty.

4. The Requesting Party may present a further request even though the provisional arrest has ended. The new request shall be made in accordance with the provisions of this Treaty.

ARTICLE 12

Documents and Evidence

1. In all cases the documents submitted in accordance with the provisions of this Treaty shall be authenticated by the competent authority, in accordance with the national legislation of the Requested Party and accompanied by a translation in the official language of the Requested Party or in English.

2. The authorities of the Requested Party shall admit as evidence, in any proceedings for extradition, any evidence taken on oath or by way of affirmation, any warrant and any certificate of, or judicial document stating the fact of a conviction, if it is authenticated :

(a)

(i) in the case of a warrant being signed, or in the case of any original document by being certified, by a Judge, Magistrate or other competent authority of the Requesting Party; and

(ii) either by oath of some witness or by being sealed with the official seal of the appropriate Minister of the Requesting Party; or

(b) in such other manner as may be permitted by the national legislation of the Requested Party.

3. The evidence described in paragraph (2) shall be admissible in extradition proceedings in the Requested Party whether sworn or affirmed in the Requesting Party or in some third State.

ARTICLE 13

Summary Extradition

If the person sought infoms the competent authorities of the Requested Party that he agrees to be extradited, that Party may stop further proceedings, and take all measures for extradition subject to its national legislation in an expeditious manner.

ARTICLE 14

Conflicting Requests

If extradition of the same person is requested, whether for the same or for different offences by the other Party and a third State with whom the Requested Party has extradition arrangements, the Requested Party shall determine to which State the person shall be extradited, and shall not be obliged to give preference to the other Party to this Treaty.

ARTICLE 15

Surrender

1. If extradition is granted, the person sought shall be sent by the authorities of the Requested Party to a convenient point of departure form its territory, in consultation with the Requesting Party.

2. The Requesting Party shall remove the person sought from the territory of the Requested Party within sixty days (60) or such longer period as may be permitted under the national legislation of the Requested Party. If he/she is not removed within that period, the Requested Party may release the person and refuse to extradite him/her for the same offence.

ARTICLE 16

Seizure and Surrender of Property

1. To the extent permitted under its national legislation, the Requested Party may seize and surrender to the Requesting Party, all articles, documents, and evidence connected with the offence in respect of which extradition is granted. The items mentioned in this Article may be surrendered even when the extradition cannot be effected due to the death, disappearance, or escape of the person sought.

2. The Requested Party may condition the surrender of the property upon satisfactory assurances from the Requesting Party that the property will be returned to the Requested Party as soon as possible. The Requested Party may also defer the surrender of such property if it is needed as evidence in the Requested Party :.

3. The rights of third parties in such property shall be duly respected.

ARTICLE 17

Rule of Speciality

1. Any person who is surrendered to the Requesting Party under this Treaty shall not be, during the period described in paragraph (2) of this Article, arrested, imprisoned or tried within the territory of the Requesting Party for or in respect of any offence committed before he was extradited to that territory other than;

a. the offence in respect of which he was extradited;

b. any lesser offence disclosed by the facts proved for the purposes of securing his surrender other than an offence in relation to which an order for his extradition could not lawfully be made; or

c. any other offence in respect of which the Requested Party may consent to his arrest, imprisonment or trial concerning the offence other than an offence in relation to which an order for his extradition could not lawfully be made or would not in fact be made.

2. The period referred to in paragraph (1) of this Article is period beginning with the day of his arrival in the territory of the Requesting Party or his extradition under this Treaty and ending forty-five (45) days after the first subsequent day on which he has the opportunity to leave the territory of the Requesting Party.

3. The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to offences committed after the return of a person under this Treaty or matters arising in relation to such offences.

ARTICLE 18

Re-Extradition

A person shall not be re-extradited to a third State, except when, having had an opportunity to leave the territory of the State to which he has been surrendered, he has not done so within sixty (60) days of his final discharge, or has returned to that territory after having left it.

ARTICLE 19

Expenses

Expenses incurred in the territory of the Requested Party on account of the execution of the request for extradition shall be borne by that Party. The expenses on account of the transfer of the fugitive shall be borne by the requesting Party.

ARTICLE 20

Obligation under International Conventions

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Parties in respect of extradition arising form International Conventions/Treaties to which both are States Parties.

ARTICLE 21

Consultations

Any difference arising out of the application, interpretation or implementation of the present Treaty shall be resoled amicably through consultations between the Central authorities.

ARTICLE 22

Transit

1. Either Party may authorize transportation through its territory of a person surrendered to the other Party by a third State. A request for transit shall be made through diplomatic channels. It shall contain a description of the person being transported and a brief statement of the facts of the case. A person in transit may be detained in custody during the period of transit.

2. No authorization is required where air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the Party. In case of an unscheduled landing on the territory of one Party, the other Party may require the request for transit as provided in paragraph 1. That Party shall detain the person to be transported until the request for transit is received and the transit is effected, so long as the request is received within ninety-six (96) hours of the unscheduled landing.

ARTICLE 23

Final Provisions

1. This Treaty is subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

2. This Treaty shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the exchange of the instruments of ratification.

3. This Treaty may be amended by mutual consent.

4. Either Party may terminate this Treaty. The termination shall take effect six (6) months from the date on which it was notified to the other Party.

5. The request for extradition received prior to its termination shall be considered under this Treaty.

Signed in duplicate at New Delhi this the tenth day of September 2007 in Hindi, Spanish, and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the United Mexican States with effect from the date of the publication of this notification.

P. M. MEENA, Jt. Secy. (Consular)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.